भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 112

उत्तर देने की तारीख: 08.12.2025

नए पॉलिटेक्निक संस्थानों की स्थापना

***112. श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर:**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश भर में नए पॉलिटेक्निक संस्थानों की स्थापना के लिए कोई योजना शुरू की है;
(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के अंतर्गत अब तक स्थापित किए गए नए पॉलिटेक्निकों की कुल संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या गुजरात में कोई नए पॉलिटेक्निक स्थापित किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये किन-किन जिलों में स्थापित किए गए हैं और इनके लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और
(घ) सरकार द्वारा उक्त संस्थानों को कार्यशील बनाने और उनकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क) से (घ): विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

******

नए पॉलिटेक्निक संस्थानों की स्थापना के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर द्वारा दिनांक 08.12.2025 **को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या** 112 **के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

(क) से (घ): भारत सरकार ने छात्रों के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 शुरु की। एनईपी 2020 का उद्देश्य पूरे देश में शिक्षा की गुणवत्ता को परिवर्तित करना और संवर्धित करना है और एक ऐसी शिक्षा प्रणाली स्थापित करना है जो समावेशी, न्यायसंगत और उच्च गुणवत्ता की हो, जिससे छात्रों को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने के लिए सशक्त बनाया जा सके।

एनईपी 2020 में इस बात पर बल दिया गया है कि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण पुस्तकालय, शिक्षण-कक्ष, प्रयोगशाला, छात्रावास, प्रौद्योगिकी, खेलकूद/मनोरंजन क्षेत्र आदि जैसे समुचित संसाधन और अवसंरचना प्रदान किए जाएं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अधिगम वातावरण आकर्षक और सहायक हो। एनईपी 2020 में उच्च गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा को आसान बनाने के लिए अनुसंधान, नवाचार और उद्योग-शैक्षिक सहकार्यता को बढ़ावा देने पर भी केन्द्रित किया गया है।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) एक केंद्र प्रायोजित योजना, पॉलिटेक्निक की योजना का कार्यान्वयन करती है। इस योजना के 4 मुख्य घटक हैं, अर्थात असेवित और अल्प सेवित जिलों में नए पॉलिटेक्निक स्थापित करना, चुने हुए पॉलिटेक्निक में महिला छात्रावासों का निर्माण, चयनित पॉलिटेक्निक का स्तरोन्नयन करना और पॉलिटेक्निक के माध्यम से सामुदायिक विकास करना। इस योजना के तहत 170 पॉलिटेक्निक स्थापित किए गए हैं। राज्य-वार सूची अनुलग्नक I में दी गई है।

इसके अतिरिक्त, गुजरात के जूनागढ़, खेड़ा, नर्मदा, नवसारी और तापी ज़िलों में प्रत्येक में एक-एक कुल 05 पॉलिटेक्निक को इस योजना के तहत मंज़ूरी दी गई है जिसमें प्रत्येक पॉलिटेक्निक के लिए 12.30 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी।

इस योजना के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने राज्य तकनीकी शिक्षा विभाग के समनव्य से एक निगरानी तंत्र का कार्यान्वयन किया है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने एक केंद्रीय क्षेत्र योजना, तकनीकी शिक्षा में बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान सुधार (मेरिटे) शुरू की है जिसका उद्देश्य सभी राज्यों और भाग लेने वाली संस्थाओं में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता, निष्पक्षता और अभिशासन को बेहतर बनाना है। 4,200 करोड़ रुपए के परिव्यय से इस योजना का उद्देश्य 100 पॉलिटेक्निक सहित 275 तकनीकी संस्थाओं को बढ़ाना है।

*****

<u>अनुलग्नक – I</u>

नए पॉलिटेक्निक संस्थानों की स्थापना के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर द्वारा 08.12.2025 **को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या** 112 **के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक**

केंद्र प्रायोजित योजना, "कौशल विकास के लिए समन्वित कार्रवाई के तहत पॉलिटेक्निक संबंधी सब-मिशन" के घटक 'नए पॉलिटेक्निक संस्थानों की स्थापना' के तहत स्थापित किए गए 170 नए पॉलिटेक्निक की राज्य-वार सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पॉलिटेक्निक की संख्या
1	अरुणाचल प्रदेश	10
2	असम	12
3	छत्तीसगढ़	03
4.	हरियाणा	07
5.	हिमाचल प्रदेश	02
6.	जम्मू और कश्मीर	09
7.	मध्य प्रदेश	19
8.	नागालैंड	08
9.	ओडिशा	22
10.	पंजाब	07
11.	राजस्थान	15
12.	तमिलनाडु	07
13.	तेलंगाना	01
14.	त्रिपुरा	03
15.	उत्तर प्रदेश	35
16.	पश्चिम बंगाल	10

*****